की हालत गम्भीर हो गई। अब उनकी हालत सुधर गयी है।

(ग) इस अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस के ध्यान में उक्त प्रकार की केवल एक ही घटना आई है।

गुजरात में वस्त्र मिलों का अधिग्रहण

1832. **श्री रामसिंहभाई पातलीयाभाई राठवा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कितनी वस्त्र मिलों का अधिग्रहण किया है ;

(ख) उनमें से कितनी मिलों का अधिग्रहण गुजरात सरकार नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन तथा गुजरात टैक्सटाइल्स कारपोरेशन ने किया ;

(ग) उन मिलों के नाम क्या हैं तथा किस-किस तारीख को उनका अधिग्रहण किया गया ;

(घ) उनके नवीकरण/मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ङ) उन मिलों की संख्या कितनी है जो (i) लाभ कमा रही हैं तथा (ii) कितनी मिलें घाटे में चल रही हैं तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान उनमें से प्रत्येक मिल को कितना-कितना लाभ और घाटा हुआ ;

(च) भविष्य में कितनी मिलों का अधिग्रहण किए जाने का प्रस्ताव अथवा योजना है ;

(छ) क्या दिल्ली कलाथ मिल्स एवं देश में कुछ अन्य मिलों का अधिग्रहण किए जाने के लिए मांग प्राप्त हुई है ; और

(ज) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) संघ सरकार ने विगत तीन वर्षों में किसी भी वस्त्र मिल का प्रबंध अपने अधिकार में नहीं लिया है । केवल संघ सरकार की उद्योग (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क के अंतर्गत वस्त्र मिलों का प्रबंध अपने अधिकार में ले सकती है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(च) जून, 1985 के वस्त्र नीति विवरण में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि रुग्ण एककों को सरकार द्वारा अधिकार में लेने या उनका राष्ट्रीयकरण करने से रुग्णता की समस्या का निवारण नहीं हो जाता और सरकार सामान्यतया ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

(छ) विगत हाल में अनेक राज्य सरकारों ने संबंधित राज्यों में स्थित कुछ रुग्ण सूती वस्त्र मिलों को अधिकार में लेने/राष्ट्रीयकरण करने के लिए संघ सरकार से अनुरोध किया है। दिल्ली कलाथ मिल्स के संबंध में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ज) ये अनुरोध तमिलनाडु सरकार से वसंत मिल, हरिमिल और जनार्दन मिल, कोयम्बतूर, पश्चिम बंगाल सरकार से श्री दुर्गा स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, कोन्नागर, मध्य प्रदेश सरकार से सज्जन मिल, रतलाम आदि के बारे में प्राप्त हुए हैं।

संघ सरकार का उपर्युक्त भाग (च) में निर्दिष्ट कारणों से इन एककों में से किसी भी एकक को अधिकार में लेने/राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव नहीं है।

inquiry Commissions

1833. DR. BAPU KALDATE; "
SHRI M. S. GURUPADASWAMY;

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Inquiry Commissions appointed by